भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4477

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ के कारण घरों का विनाश और कृषि भूमि का क्षरण

4477. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष सरयू और घाघरा नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण होने वाले घरों के विनाश और कृषि भूमि के क्षरण को रोकने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी बाढ़ और भू-क्षरण के कारण अपने घरों और कृषि भूमि को खोने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रभावित लोगों के पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है/कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव रोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार, संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और साथ ही प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि बहराइच निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा और सरयू नदियों के बाएं किनारे पर बेल्हा-बेहरौली (95.00 किमी लंबा) और रेवाही-आदमपुर (15.50 किमी लंबा) नामक दो बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का निर्माण किया गया है, जो 3.93 लाख की आबादी और 1.76 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) बाढ़ प्रबंधन के एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में संबंधित राज्य सरकारों को पहचान किए गए स्थानों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। साथ ही सीडब्ल्यूसी उचित जलाशय विनियमन हेतु प्रवाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके एक नेटवर्क की स्थापना की गई है। इस समय, मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सीडब्ल्यू 340 स्टेशनों (140 प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशनों + 200 स्तर पूर्वानुमान स्टेशनों) से बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में कुल 44 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन (39 स्तर पूर्वानुमान स्टेशन और 5 प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशन) हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी पर 3 स्तर पूर्वानुमान स्टेशन और एक इन-फ्लो पूर्वानुमान स्टेशन हैं।

(ख) और (ग): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2024-25 में, कुल 315 आवासीय घरों के लाभार्थियों (पक्का/कच्चा/झोपड़ी/पशु शेड) के घर सरयू और घाघरा नदी से होने वाले भूमि कटाव के कारण क्षतिग्रस्त को गये इन्हें 2,17,12,000.00 रुपये की आवास अनुदान सहायता प्रदान की गई है और कृषि भूमि वाले कुल 1142 किसानों को 98,08,541.00 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। आपदा राहत कोष से कच्चे/पक्के/पूर्ण/आवासीय घरों के लिए 173 लोगों को 2,02,75,000.00 रुपये की राहत सहायता, आवासीय झोपड़ियों के लिए 139 लोगों को 14,28,000.00 रुपये और पशु शेड को हुए नुकसान के लिए 03 व्यक्तियों को 9,000.00 रुपये की राशि प्रभावित व्यक्तियों के खातों में तुरंत स्थानांतरित की गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा (i) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत, तटीय और नदी कटाव मूल्यांकन और निधि जारी और (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत भूमि कटाव से प्रभावित व्यक्ति पुनर्वास नीति जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश की है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपने सुझावों में एनडीआरएफ के अंतर्गत भूमि कटाव से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु निधियों का विशेष प्रावधान किया गया है।

*****